

19/12/24 - पत्रावली पेश हुई | वारी 24/12/24 पर वारी अर्द्ध
परिष्कार के नोटिस अर्द्ध 24/12/24 को पेश करे
के अर्द्ध करने पर आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत
कार्यवाही की जायेगी पत्रावली दिनांक 9/1/25 को
पेश करे

9/1/25 - पत्रावली पेश हुई | वारी 24/12/24 पर वारी
आदेश अर्द्ध में दिनांक 11/2/25 को
पेश करे

11/2/25 पत्रावली पेश हुई | वारी एवं वारी आधीवचन अर्द्ध।
वारी एवं वारी आधीवचन की नियमानुसार तीन बार
आवाजे लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
वारी एवं वारी आधीवचन को न्यायालय में पुनः एक
बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
वारी एवं वारी आधीवचन के न्यायालय में उपस्थित
नहीं आये। वारी द्वारा जमानत वाप अन्तर्गत बाका 88,
89, 92क एवं 188, राजधानी कारखाने आधीनियम की
अदम टावनी | अदम टावनी में जारी किया जाता है। निर्णय
के अन्तर्गत मुद्राणा गण) पीछी पर्या जारी है।
पत्रावली फाइल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो तथा नम्बर से कम है।

30
11/2/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्री सोहन पुत्र श्री टोडू अचारज, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— वादी

बनाम

1. श्री देवकरण पुत्र माना अचारज, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री लादू पुत्र माना अचारज, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्री बंशीलाल पुत्र तुलछा अचारज, निवासी चित्ताखेडा जिला नीमच, म0प्र0
4. श्री बालमुकुन्द पुत्र तुलछा अचारज, निवासी चित्ताखेडा जिला नीमच, म0प्र0
5. श्रीमती सुखी बाई पत्नी तुलछा अचारज, निवासी चित्ताखेडा जिला नीमच, म0प्र0
6. श्री सोहन पुत्र कजोड अचारज निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. श्री सन्तोष पुत्र श्री नाथु अचारज, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. श्रीमती रतनी पुत्री नाथु अचारज, पत्नी श्री गोरीशंकर अचारज, निवासी गंगरार तहसील गंगरार, जिला चित्तौडगढ।
9. श्रीमती बाली पत्नी नाथू अचारज, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
11. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 616/2013 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी, उपस्थित नहीं — इस वाद में आज तारीख 11.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गईं, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को न्यायहित में पुनः एक बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


11/2/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा